

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227508
ग्रा.वि.-14(म0)और0-02/2015

पटना, दिनांक 11.04.2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री सर्वजीत कुमार (बि0कृ0से0),
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारुण, औरंगाबाद)

निबंधित

विषय:- वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, औरंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप बारुण प्रखंड (जिला-औरंगाबाद) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।


4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
37.88	₹ 51895.6

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 37.88 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।


विश्वसतभ्यजन,

(प्रदीप कुमार) 10.4.15
सचिव

पत्रांक 227508

पटना, दिनांक 11.04.2015

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

औरंगाबाद जिला से प्राप्त प्रतिवेदन एवं विभागीय जापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र अनुलग्नक सहित का तामिला श्री सर्वजीत कुमार (बि0कृ0से0), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बारुण, औरंगाबाद के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कराकर उन्हें ग्रामीण विकास विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश देने की कृपा की जाय।


सचिव 10.4.15

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, the States should ensure more than 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

(Amita Sharma)
Joint Secretary

आपका संख्या 205 / ग्रा०वि०पटना, दिनांक- 8/वि०वि०/40/04

3/1/06

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुसूचित तहिल
सूचनायें एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।

क्र.	जिला	प्रखण्ड	प्रतिपक्ष का नाम	अवशेष खाद्यान्न	समस्त रशि	वर्तमान पदस्थापन
487	औरंगाबाद	देव	श्री निशिलेश कुमार (बि०प्र०से०-162/99, 827/04, 438/11)	151.79	207952.3	उप विकास आयुक्त, मधुपरा
488	औरंगाबाद	नवीनगर	श्री रामेश्वर पाण्डेय (बि०प्र०से०-1834/99)	61.65985	84474	जिला भ्र.अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय
489	औरंगाबाद	देव	एम०ए० उमर (बि०प्र०से०-2542/99)	151.79	207952.3	वरीय उप समाह्वर्ता, सारण, छपरा
490	औरंगाबाद	रफीगंज	मो० गजासुदीन असादी (बि०प्र०से०-2097/99)	65.65985	89954	विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना
491	औरंगाबाद	रफीगंज	मो० आलमग मुन्तार (बि०प्र०से०-2555/99)	65.65985	89954	सम्पत्ति निर्बंधित, आयुक्त कार्यालय, पटना
492	औरंगाबाद	मदनपुर	श्री कचिलदेव महतो (बि०प्र०से०-1670/99)	407.5	558275	
493	औरंगाबाद	टाउननगर	श्री दिलीप कुमार गुप्ता (बि०प्र०से०)	268.3573	367649.5	
494	औरंगाबाद	बारुण	श्री सर्वजीत कुमार (बि०प्र०से०)	37.88	51895.6	
495	औरंगाबाद	नवीनगर	श्री सर्वजीत कुमार (बि०प्र०से०)	61.65985	84474	
496	औरंगाबाद	रफीगंज	श्री दिनकर प्रसाद सिंह (बि०प्र०से०)	65.65985	89954	